कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 में संचालित योजनाओं का विवरण।
जनपद–अल्मोड़ा।

1. नेशनल मिशन फूड सिक्योरिटी मिशन (NFSM)

I कलस्टर प्रदर्शनः– इस योजना के अन्तर्गत 10 है0 के क्षेत्र में चावल, गेहूँ, दलहन की कलस्टर समूह प्रदर्शन हेतु 7500 रू0 प्रति है0, मोटे अनाज हेतु 5000 रू0 प्रति है0 तथा फसल चक्र आधरित समूह प्रदर्शन 12500 रू0 प्रति है0 की दर से राज सहायता देय है।

II बीज वितरणः– धान गेहूँ के उन्नत प्रमाणित बीजों पर अधिकतम 1000 रू0 प्रति कु0, धान तथा मक्का के संकर प्रजाति हेतु अधिकतम 5000 रू0 प्रति कु0, मोटे अनाजों के उन्नत प्रमाणित बीजों पर अधिकतम 1500 रू0 प्रति कु0 एवं दलहन के उन्नत प्रमाणित बीजों पर अधिकतम 2500 रू0 प्रति कु0 अनुदान देय है।

III पौध एवं मृदा प्रबन्धनः– इसके अन्तर्गत सूक्ष्म पोषक तत्व, पौध रसायन एवं खरपतवार नाशी के वितरण मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा 500 रू0 प्रति है0, जैव उर्वरकों पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा रू0 300 प्रति है0 जो कम हो का अनुदान देय है।

IV कृषि यंत्र वितरणः–कृषि यंत्र वितरण पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम सीमा जैसा कि पृथक–पृथक यंत्रों के लिए सुनिश्चित है अनुदान की सीमा उपलब्ध है।

V सिचांई यंत्र वितरणः– कृषकों को सिंचाई के लिए जल संवहन पाईप, जल पम्प, स्प्रिंगकलर सेट वितरण मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम सीमा जो कि विभिन्न यंत्रों हेतु अलग–अलग निर्धारित है का अनुदान देय है।

VI प्रशिक्षण कार्यक्रमः– जिन स्थानों पर कलस्टर प्रदशनों का आयोजन किया जा रहा है वहॉ के किसानों को सामूहिक रूप से एक दिवसीय 4 प्रशिक्षण सत्रों के आयोजन की व्यवस्था की गई है। एक दिवसीय प्रशिक्षण पर 3500 रू0 प्रति सत्र व्यय अनुमन्य है।

VII स्थानीय पहल कार्यक्रम :– इसके अन्तर्गत एक है0 कमाण्ड क्षेत्रफला हेतु 2.50 लाख रू0 प्रति इकाई की दर से सामुदायिक जल संभरण टैंक, कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु 1500 रू0 प्रति है, स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा प्रदर्शन हेतु 8200 रू0 प्रति है0 एवं स्वयं सहायता समूहों हेतु अधिकतम 1.00 लाख रू0 प्रति इकाई की दर से आटा चक्की का प्राविधान है।

2. राष्ट्रीय तिलहन ऑयल पॉम मिशनः– (NMOOP)

I प्रमाणित बीज वितरणः–इसके अन्तर्गत सोयाबीन, तोरिया, सरसों, राई के उन्न्त प्रजाति के प्रमाणित बीजों पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 2500 रू0 प्रति कु0 तथा तिल के उन्नत प्रजाति के प्रमाणित बीजों पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 5000.00 रू0 प्रति कु0 की दर से अनुदान अनुमन्य है।

II प्रौद्योगिकी हस्तान्तरणः–कृषकों को तिलहनी फसलों के उत्पादन की नवीनतम तकनीकी को हस्तान्तरण करने के उद्देश्य से सोयाबीन में 4500 रू0 प्रति है0, तोरिया/सरसों/राई एवं तिल में 3000 रू0 प्रति है0 एवं मूंगफली में 7500 रू0 प्रति है0 की दर से ब्लॉक प्रदर्शनों के आयोजन की सुविधा है।

III कृषि निवेश विरतणः–इसमें जिप्सम, पाईराइट, लाइमिंग, डोलोमाइट, एस0एस0पी0, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं राईजोबियम, पी0एस0बी0, जैड0एस0बी0, एजेटोबेक्टर, माइकोराईजा, पौध रक्षा रसायन, कीटनाशी रसायन, जैव कीटनाशी, खरपतवार नाशी एवं जैव अभिकर्मक आदि अनुदान वितरण की व्यवस्था है।

VI कृषि यंत्रों का वितरणः– मानव चालित स्प्रेयर, पॉवर स्प्रेयर, रोटावेटर, जीरोटिल सीडड्रिल, मल्टीक्रॉप थ्रेसर, जल पम्प एवं जल संवहन पाईप आदि को अनुदान पर वितरण करने की व्यवस्था।

VII फ्लेक्सी फण्डः–इसके अन्तर्गत ऑयल एक्प्लेयर यूनिट तथा हेरोमोन ट्रैप अनुदान पर देने का प्राविधान है।

3- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टैक्नोलॉजी (NMAET)-ATMA :–

I- कृषक प्रशिक्षण–इस कार्यक्रम में अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय कृषक प्रशिक्षण हेतु 1250 रू0, राज्य अन्तर्गत 1000 रू0 एवं जिला अन्तर्गत 250 रू0 प्रति कृषक प्रति दिन की सुविधा अनुमन्य है।

II- प्रदर्शनः– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, रेशम एवं मत्स्य आदि विभागों द्वारा कृषि के उन्नत तकनीक प्रदर्शन हेतु 4000 रू0 प्रति एकड की दर से सुविधा अनुमन्य है।

III- कृषक भ्रमण कार्यक्रमः– आतमा योजना के अन्तर्गत कृषकों को राज्य से बाहर, राज्य के अन्तर्गत एवं जिले के अन्तर्गत भ्रमण कार्यक्रम के लिए क्रमशः 800 रू0, 400 रू0 एवं 300 रू0 प्रति कृषक प्रति दिन की सुविधा अनुमन्य है।

IV- कृषक समूह का दक्षता विकासः– प्रति समूह प्रति वर्ष/प्रति समूह एक बार क्रमशः 5000 रू/1000 रू0 प्रति समूह अनुदान की सुविधा अनुमन्य है।

V- किसान मेलों का आयोजनः– इसके अन्तर्गत किसान मेलों के माध्यम से कृषकों को कृषि की नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है एवं उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों की बिक्री भी की जाती है। इस हेतु अधिकतम 4.00 लाख रू0 अनुदान अनुमन्य कराया जाता है।

VI- किसान गोष्ठीः– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों को ब्लॉक स्तरीय कृषक गोष्ठियों का आयोजन कर कृषकों को नवीनतम तकनीकी जानकारी प्रदान की जाती है। प्रति कृषक गोष्ठी 15000 रू0 व्यय करने का प्राविधान है।

VII- फार्म स्कूलः– इसके अन्तर्गत प्रगतिशील एवं अनुभवी कृषकों के माध्यम से ब्लॉक स्तर से फार्म फील्ड स्कूल की स्थापना की जाती है। वहॉ पर गॉव के कृषकों एवं अन्य सभी कृषकों को प्रशिक्षण एवं कृषि की नवीनतम जानकारी प्रदान की जाती है। इस पर 29414.00 रू0 प्रति फार्म स्कूल व्यय करने का प्राविधान है।

VIII- कृषक पुरस्कारः– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि, पशुपालन, उद्यान, मत्स्य/रेशम के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को राज्य स्तर पर 50000.00 रू0, जनपद स्तर पर 25000.00 रू0 एवं ब्लॉक स्तर पर 10000.00 रू प्रति कृषक पुरस्कार अनुमन्य कराया जाता है।

4. राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन (NMSA):–

I-.कृषि/उद्यान/पशुधन/दुग्ध उत्पादन आधारित फसल प्रणाली प्रदर्शन।

II- मूल्यवर्धन एवं संस्थान संरक्षण कार्यक्रम– मिडिल/लोवर रिज, गली नियंत्रण, सामूदायिक जल सम्भरण टैंक, जल प्रयोग एवं वितरण, पुस्ता निर्माण, शैक्षिण भ्रमण एवं प्रशिक्षण।

III- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना–**(S.H.C.)** :– मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रत्येक दो वर्ष के चक्र में समस्त कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी है।

जिससे पोषक तत्वों की कमी के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग किया जा सके। योजनान्तर्गत कृषकों को निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे है।

VI- परम्परागत कृषि विकास योजना–**(PKVY)** :– इस योजना अन्तर्गत परम्परागत तकनीकी में आधुनिक कृषि तकनीकी का यथा संभव समावेश करने के उद्देश्य से परम्परागत कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2015–16 से किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य चयनित कलस्टर के आधार पर चयनित जैविक ग्रामों में पी0जी0एस0 सर्टीफिकेशन के अन्तर्गत जैविक कृषि को प्रोत्साहित किया जाना है।

5- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM):– योजना के अन्तर्गत कृषि यंत्र वितरण पर शासन द्वारा निम्न प्रकार सुविधाएँ अनुमन्य है।

1- कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु रू0 10.00 लाख तक की इकाई हेतु रू0 4.00 लाख अथवा मूल्य का 40 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान की सहायता देय है।

2- फार्म मशीनरी बैंक स्थापना हेतु 8 कृषकों के समूहों को रू0 10.00 लाख तक की इकाई स्थापना हेतु रू0 5.00 लाख अथवा मूल्य का 80 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य कराया जाता है।

3- टैक्ट्रर क्रय हेतु रू0 1.25 लाख अथवा मूल्य का 35 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य कराया जाता है।

4- रीपर बाइन्डर क्रय हेतु रू0 1.25 लाख अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य कराया जाता है।

5- टैक्टर चालित यंत्रों के क्रय हेतु रू0 44000.00 अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य कराया जाता है।

6- टैक्टर चालित यंत्रों के क्रय हेतु रू0 44000.00 अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य कराया जाता है।

7- एम0बी0प्लाओ, टिस्कप्लाओ, कल्टीवेटर हेरो के क्रय हेतु रू0 35000.00 अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य कराया जाता है।

8- पावर बीडर क्रय हेतु रू0 19000.00 अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य कराया जाता है।

9- थ्रेसर (3 एच0पी0 से कम) के क्रय हेतु रू0 20000.00 अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य कराया जाता है।

10- थ्रेसर (5 एच0पी0 से कम) के क्रय हेतु रू0 25000.00 अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य कराया जाता है।

11- थ्रेसर (5 एच0पी0 से अधिक) के क्रय हेतु रू0 63000.00 अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य कराया जाता है।

12- पॉवर टिलर ए0डी0एच0पी0 एंव अधिक के क्रय हेतु रू0 75000.00 या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य कराया जाता है।

13- कृषि रक्षा यंत्र (मानव चालित) कृषि यंत्रों के क्रय पर रू0 600.00 अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य कराया जाता है।

14- कृषि रक्षा यंत्र (शक्ति चालित) कृषि यंत्रों के क्रय पर रू0 3100.00 अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य कराया जाता है।

15- मिनी राइस मील/दाल मील के क्रय हेतु रू0 1.50 लाख अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य कराया जाता है।

6. सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लाटिंग मेटेरियल (बीजग्राम योजना):–

I- बीजों पर देय अनुदानः– कृषकों को एक एकड़ क्षेत्रफल हेतु प्रमाणित एवं आधारीय बीजों तथा धान्य फसलों के बीजों के मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान तथा दलहन एवं तिलहन फसलों में 60 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य कराया जा रहा है।

II- .कृषक प्रशिक्षणः– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन हेतु एक–एक दिवसीय तीन प्रशिक्षण आयोजन किया जाता है जिस पर 15000.00 रू0 व्यय किये जाने का प्राविधान है।

III- बुखारी वितरणः– अनाज भण्डारण हेतु 2 कु0 क्षमता की बुखारी वितरण पर सामान्य कृषक को 300 रू0 प्रति बुखारी एक अनु0जा0 के कृषकों को 400 रू0 प्रति बुखारी की दर से अनुदान अनुमन्य कराया जाता है।

7- अनु0जाति/जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम (एस0सी0पी0):–

I- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत धान्य, दलहन, तिलहन एवं सब्जी बीज मिनीकिटों का निशुल्क वितरण, पौध रक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कीटनाशी रसायनों, सूक्ष्म तत्व, लाइट ट्रेप वितरण एवं कृषि यंत्रों का समूहों में वितरण कार्यक्रम सम्मिलित है। जल संरक्षण कार्यकम्र में अन्तर्गत चैक डैम सुरक्षा दीवार, जल सम्भरण टैंकों का निर्माण एवं प्लास्टिक टैंको का वितरण कर जल वर्षा का समुचित उपयोग कर उत्पादन में वृद्धि किये जाने के कार्यक्रम सम्मिलित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनु0 जाति जनजाति बाहुल्य चयनित ग्रामों कृषि विकास कार्यक्रमों से संतृप्तिकरण करते हुए पूर्ण विकास करना है।

II- योजनान्तर्गत प्रत्येक विकासखंड से चयनित ग्राम में मृदा परीक्षण, मृदा एवं जल संरक्षण कार्य, पॉली हाउस निर्माण, छत वर्षा जल सम्भरण टैंक, सिंचाई टैक, सिंचन क्षमता में वृद्धि हेतु भूमि संरक्षण कार्य व कृषक प्रशिक्षण संबंधित कार्य किये जाते है।

8- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाः–

I- योजनान्तर्गत जनपद में कृषि सिचांई को बढ़ावा दिये जाने हेतु कृषि एवं अन्य रेखीय विभाग द्वारा सिंचाई सम्बन्धी योजना प्रस्तावित की गयी हैं। जिसमें मुख्य रूप से जल संरक्षण भूमि संरक्षण, ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक, जल स्त्रोतो का नवीनीकरण, जीर्णोधार आदि कार्य सम्पादित किये जाने हैं।

II- वर्ष 2016–17 में प्रति बूंद अधिक उत्पादकता अन्तर्गत मिनी एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर सैट, चैकडेम, छत वर्षा टैंक, जल सम्भरण टेंक आदि का निर्माण कार्य सम्पादित कराया गया है।

योजना अन्तर्गत जलागम विकास कार्यक्रम/आई0डब्ल्यू0एम0पी0 अन्तर्गत क्षमता विकास कार्यक्रम, लाईवलीहुड एक्टीविटी आदि कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है।